# फर्द अहकाम

## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में एयू फायनेंसियर्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता थां), पंजीकृत कार्यालय 19—ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर, जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेश चौधरी, मैनेजर एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, राजसमंद —प्रार्थी

बनाम

1. महामाया दधिमती शिक्षा प्रचार समिति, जरिये सचिव श्रीमती ज्योत्सना दाधीच, निवासी 441, वृंदावन धरतीधन फैक्ट्री के पास, सुंदरवास, उदयपुर (राज.)

**अचल बंधक संपत्ति का विवरणः—**
**महामाया दधिमती शिक्षा प्रचार समिति, जरिये सचिव श्रीमती ज्योत्सना दाधीच आराजी नं. 1977 / 892, 891 / 2, ग्राम भावा, पटवार मण्डल भवा, तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद की समस्त अथवा आंशिक भूमि, कुल क्षेत्रफल 5990 वर्गमीटर जो कि सोफिया पब्लिक स्कूल, कांकरोली के नाम दर्ज है, जिसे महामाया दधिमती शिक्षा प्रचार समिति द्वारा संचालित किया जाता है।**

**आराजी नं. 891 / 4, ग्राम भावा, भीलवाड़ा रोड़, तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद में स्थित सम्पति।**

**चल संपति जो कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में दृष्टिबंधक (Hypothicated) रखी गई है—**

**RJ30TA1463(Chassis no. MAT445117DVD36145 Engine No. 2751D106DWYS99163)**
**RJ30PA2314 (Chassis no. 359350JRQ117195 Engine No. 697D28JRQ122512)**
**RJ30PA2303 (Chassis no. MBIPAEFC5EEAM19162 Engine No. EAEZ202871)**
**RJ30PA2219 (Chassis no. MAT 454062E7E08374Engine No. 497TC92EVY817808)**
**RJ30PA2220 (Chassis no. MAT 454062E7E08285 Engine No. 497TC92EVY817400)**
**RJ30PA2049 (Chassis no. MAT455103D8N32235 Engine No. 497SPTC40NWY658277)**
**RJ30PA2017(Chassis no. MAT455091C8C12720 Engine No. 497SPTC39CXY620547)**
**RJ30PA3263 (Chassis no412060CWZ001850 Engine No. 30C62262447)**
**RJ30PA2702(Chassis no. MAT454072GFE05602 Engine No. 497TC92DTY815944)**
**RJ30PA2315 (Chassis no. 359350BRQ701200 Engine No. 697D2EBRQ710E73)**

----- ऋणी एवं बंधककर्ता

2. सुश्री ज्योत्सना दाधीच पुत्री श्री जगदीश चन्द्र शर्मा, निवासी शांति कॉलोनी, कांकरोली, तहसील एवं जिला राजसमंद (राज.) 313324

3. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा पिता श्री हरि शंकर शर्मा, निवासी 441, धरतीधन के पास, दक्षिणी सुंदरवास, उदयपुर ———सहऋणी

न्यायालय जिला कलक्टर

4. मैसर्स सोफिया पब्लिक स्कूल, जरिये प्रिंसिपल श्रीमती ज्योत्सना दाधीच, निवासी शांति कॉलोनी, कांकरोली, राजसमंद

-----सहऋणी एवं बंधकर्ता

--- विपक्षीगण

**किस्म मुकदमा**– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 56/2021**

| क्रमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 28.06.2022**<br><br>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस. बैंक लिमिटेड, राजसमंद ने दिनांक 29.11.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।<br><br>विपक्षी संख्या 1, 2, 3 व 4 ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 14.12.2020 एवं 20.07.2020 को कमशः ऋण खाता खाता संख्या 9001120115303284 एवं 9001160521161242 के 4,24,38,239 रू. एवं 40,00,000 का ऋण प्राप्त किया था। विपक्षी सं. 1 एंव 4 ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी चल एवं अचल संपतियो को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन किया था। विपक्षी संख्या 1 एवं 4 द्वारा बंधक रखी गई चल (विभिन्न वाहन) एवं अचल सम्पत्ति और उस पर निर्मित भवन एवं ढॉचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :– **बंधक सम्पत्ति का विवरण** :– महामाया अधिमती शिक्षा प्रचार समिति, जरिये सचिव श्रीमती त्योत्सना दाधीच के ग्राम भावा में स्थित सम्पत्ति, आराजी नं. 1977/892, 891/2 ग्राम भावा, पटवार मण्डल, भावा तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद (राज0) की समस्त अथवा आंशिक भूमि, कुल क्षेत्रफल 5990 वर्गमीटर जो कि सोफिया पब्लिक स्कूल, कांकरोली के नाम दर्ज है, जिसे महामाया दधिमती शिक्षा प्रचार समिति द्वारा संचालित किया जाता है, **आराजी नंबर 1977/892 के पड़ौस निम्न प्रकार** है कि पूर्व :– श्रीमती वगतु बाई की संपति (आ.नं.890) एवं ग्राम पंचायत भावा (आ.नं.871/1) पश्चिमः– श्री भंवरलाल की संपत्ति खसरा नं. 1984/892 उत्तरः– बिलानाम भूमि, खसरा नं. 892 दक्षिणः–खसरा नं. 891/1, 891/2, 891/3, 891/4, 891/5 एवं 806 एवं **आराजी नं.891/2 के पड़ौस निम्न प्रकार** है कि पूर्वः सुश्री अंजली दाधीच की संपति (खसरा नं. 891/3) पश्चिमः श्री बुरहान नूरूद्दीन की संपति (खसरा नं. 891/1) उत्तरः सोफिया पब्लिक स्कूल की संपति (खसरा नं. 1977/892 का हिस्सा) दक्षिणः सिंचाई विभाग की नहर (खसरा नं. 853) उपरोक्त आराजीयात के बीच स्थित भूमि एवं ढांचा जिसका क्षेत्रफल 1943+ 2509+ 1538 वर्गमीटर | |

कुल क्षेत्रफल 5990 वर्गमीटर है। **आराजी नं. 891/4 के पड़ौस निम्न प्रकार** है कि पूर्वः 30 फिट चौड़ा रास्ता, पश्चिम निर्माणशुदा इमारत उत्तरः आराजी नं. 891/5 की भूमि दक्षिणः आराजी नं. 891/3 की भूमि, उक्त भूमि ने.हा. नं. 758 के उत्तर में स्थित होकर ग्राम भावा पटवार मंडल भावा, तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद में स्थित होकर इसका क्षेत्रफल 3860.22 वर्ग गज है, जो कि सोफिया पब्लिक स्कूल, कांकरोली के नाम दर्ज है, जिसे महामाया दधिमती शिक्षा प्रचारी समिति द्वारा संचालित किया जाता है। चल दृष्टिबंधक संपति का विवरण निम्नानुसार हैः–

**RJ30TA1463(Chassis no. MAT445117DVD36145 Engine No. 2751d106dwys99163)**
**RJ30PA2314 (Chassis no. 359350JRQ117195 Engine No. 697D28JRQ122512)**
**RJ30PA2303 (Chassis no. MBIPAEFC5EEAM9162 Engine No. EAEZ202871)**
**RJ30PA2219 (Chassis no. MAT 454062E7E08374Engine No. 497TC92EVY817808)**
**RJ30PA2220 (Chassis no. MAT 454062E7E08285 Engine No. 497TC92EVY817400)**
**RJ30PA2049 (Chassis no. MAT455103D8N32235 Engine No. 497SPTC40NWY658277)**
**RJ30PA2017(Chassis no. MAT455091C8C12720 Engine No. 497SPTC39CXY620547)**
**RJ30PA3263 (Chassis no412060CWZ001850 Engine No. 30C62262447)**
**RJ30PA2702(Chassis no. MAT454072GFE05602 Engine No. 497TC92DTY815944)**
**RJ30PA2315 (Chassis no. 359350BRQ701200 Engine No. 697D2EBRQ710E73)**

यह कि विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था में उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षीगण का खाता दिनांक 20.04.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया। दिनांक 17.05.2021 को विपक्षीगण के खाता संख्या 9001120115303284 में बकाया ऋण राशि की राशि 4,47,27,276/–रूपये एवं खाता संख्या 9001160521161242 में बकाया ऋण राशि 41,19,046/–रूपये शेष व देय निकलते हैं। दिनांक 17.05.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस दिनांक 17.05.2021 को विपक्षीगण को भिजवाये गये जो भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साईमेंट अनुसार दिनांक 24.05.2021 एवं 25.05.2021 को डिलीवर्ड हो गये। जिसकी प्राप्ति विपक्षीगण को दिनांक 24.05.2021 एवं 25.05.2021 को होने के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया हैं। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कॉलम संख्या 3 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति एवं दृष्टिबंधक रखी गई चल संपति जिनमें 10 वाहन है, का कब्जा प्राप्त

न्यायालय जिला कलक्टर

करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार धारा 14 में जो संशोधन हुआ, वो निम्न प्रकार से है :–

Inserted by Act 44 of 2016, Section 12(i) (w.e.f. 1-9-2016)

Provided further that on receiopt of affidavit from the Authorised Officer, the District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall after satisfying the contents of affidavit pass suitable orders for the purpose of taking possession of the secured assetes [within a period of thirty days from the date of application]

[Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days.]

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी एवं बंधककर्ता, सहऋणी; सहऋणी एवं बंधककर्ता को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 17.05.2021 को जारी किया गया था। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरणः– महामाया अधिमती शिक्षा प्रचार समिति, जरिये सचिव श्रीमती त्योत्सना दाधीच के ग्राम भावा में स्थित सम्पत्ति, आराजी नं. 1977/892, 891/2 ग्राम भावा, पटवार मण्डल, भावा तहसील कुंवारिया ज़िला राजसमंद (राज0) की समस्त अथवा आंशिक भूमि, कुल क्षेत्रफल 5990 वर्गमीटर जो कि सोफिया पब्लिक स्कूल, कांकरोली के नाम दर्ज है, जिसे महामाया दधिमती शिक्षा प्रचार समिति द्वारा संचालित किया जाता है, **आराजी नंबर 1977/892 के पड़ौस निम्न प्रकार** है कि पूर्व :– श्रीमती वगतु बाई की संपति (आ.नं.890) एवं ग्राम पंचायत भावा (आ.नं. 871/1) पश्चिमः– श्री भंवरलाल की संपत्ति खसरा नं. 1984/892 उत्तरः– बिलानाम भूमि, खसरा नं. 892 दक्षिणः खसरा नं. 891/1,

891/2, 891/3, 891/4, 891/5 एवं 806 एवं **आराजी नं. 891/2 के पड़ौस निम्न प्रकार** है कि पूर्वः सुश्री अंजली दाधीच की संपति (खसरा नं. 891/3) पश्चिमः श्री बुरहान नूरूद्दीन की संपति (खसरा नं. 891/1) उत्तरः सोफिया पब्लिक स्कूल की संपति (खसरा नं. 1977/892 का हिस्सा) दक्षिणः सिंचाई विभाग की नहर (खसरा नं. 853) उपरोक्त आराजीयात के बीच स्थित भूमि एवं ढांचा जिसका क्षेत्रफल 1943+ 2509+ 1538 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 5990 वर्गमीटर **है। आराजी नं. 891/4 के पड़ौस निम्न प्रकार** है कि पूर्वः 30 फिट चौड़ा रास्ता, पश्चिम निर्माणशुदा इमारत उत्तरः आराजी नं. 891/5 की भूमि दक्षिणः आराजी नं. 891/3 की भूमि, उक्त भूमि ने.हा. नं. 758 के उत्तर में स्थित होकर ग्राम भावा पटवार मंडल भावा, तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद में स्थित होकर इसका क्षेत्रफल 3860.22 वर्ग गज है, जो कि सोफिया पब्लिक स्कूल, कांकरोली के नाम दर्ज है, जिसे महामाया दधिमती शिक्षा प्रचारी समिति द्वारा संचालित किया जाता है। चल दृष्टिबंधक संपति का विवरण निम्नानुसार हैः—

**RJ30TA1463(Chassis no. MAT445117DVD36145 Engine No. 2751d106DWYS99163)**
**RJ30PA2314 (Chassis no. 359350JRQ117195 Engine No. 697D28JRQ122512)**
**RJ30PA2303 (Chassis no. MBIPAEFC5EEAM9162 Engine No. EAEZ202871)**
**RJ30PA2219 (Chassis no. MAT 454062E7E08374Engine No. 497TC92EVY817808)**
**RJ30PA2220 (Chassis no: MAT 454062E7E08285 Engine No. 497TC92EVY817400)**
**RJ30PA2049 (Chassis no. MAT455103D8N32235 Engine No. 497SPTC40NWY658277)**
**RJ30PA2017(Chassis no. MAT455091C8C12720 Engine No. 497SPTC39CXY620547)**
**RJ30PA3263 (Chassis no412060CWZ001850 Engine No. 30C62262447)**
**RJ30PA2702(Chassis no. MAT454072GFE05602 Engine No. 497TC92DTY815944)**
**RJ30PA2315 (Chassis no. 359350BRQ701200 Engine No. 697D2EBRQ710E73)**

एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, राजसमन्द के अधिवक्ता श्री निलेश पालीवाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जोधपुर की एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नं. 6500/2022 एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, बनाम जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद वगैरह में दिनांक 12.05.2022 को पारित निर्णय में निर्देश दिये कि वर्तमान रिट पीटीशन पीटीशनर को आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ दिनांक 15.12.2021 के आवेदन के शीघ्र निपटान के लिये आवेदन दाखिल करने के निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है। आवेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 1 आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन पर शीघ्र निर्णय करेगा। न्यायालय द्वारा

यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन पर निर्णय लेने का उक्त निर्देश केवल पीटीशनर की शिकायत के शीघ्र निवारण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इसे किसी विशेष तरीके से आवेदन को तय करने का आदेश नहीं माना गया है। स्थगन आवेदन का भी माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार निस्तारित किया गया है।

चूंकि **जिसकी निलामी व सिजिंग की कार्यवाही की जानी है वहां वर्तमान में सोफिया पब्लिक स्कूल संचालित हो रहा है इसलिये उक्त निलामी/सिजिंग के सशर्त आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमंद की उपस्थिति में ही उपरोक्त सम्पति की निलामी/कब्जा करे, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमंद यह सुनिश्चित करे कि छात्रों का चल रहा सत्र बाधित न हो तथा एयू स्माल फायनेंस बैंक द्वारा की गई निलामी (यदि आवश्यक हो) में शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत बोली दाताओ को आमंत्रित कर उन्हें वरियता देवे ताकि सोफिया स्कूल में अध्ययरत विद्यार्थियों का अध्ययन जारी रह सके ।** साथ ही उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त चल एवं अचल सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें। निर्णय की प्रति एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, राजसमंद एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमंद को भी दी जावे।

**पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**

**(नीलाभ सक्सेना)**
**जिला मजिस्ट्रेट,**
**राजसमंद**

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)